तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
10.3.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी महेन्द्र रावल पुत्र श्री बालुराम रावल, निवासी– रेल्वे स्टेशन रोड, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव शॉपिंग एण्ड मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थि। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 15.1.2022 को दौराने गश्त फर्म महादेव शॉपिंग एण्ड मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी महेन्द्र रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) का नमूना संख्या S-1590 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./230/Act/2022/237 दिनांक 07.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.3.2023 को प्रतिवादी महेन्द्र रावल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी को दिनांक 03.3.2023 ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) का विक्रय नही करेगा। प्रतिवादी का छोटा व्यापार है, प्रतिवादी ने Gum (गोंद) को दूसरी फर्म से खरीद कर लाया था, जिसका बिल उसके पास नही है एवं न ही उसने इसमें कोई मिलावट नही की है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 15.1.2022 को दौराने गश्त [illegible] पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु [illegible] मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– [illegible] पर गये। .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी महेन्द्र रावल पुत्र श्री बालुराम रावल, निवासी– रेल्वे स्टेशन रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म महादेव शॉपिंग एण्ड मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह, ग्राम विरोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही (वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र रावल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) के लगभग 10 किलोग्राम के एक प्लास्टिग बैग में से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं खाद्य पदार्थ काली मिर्च की कीमत राशि रुपये 640/– (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) विक्रेता महेन्द्र रावल को को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) को गवाह व विक्रेता के समक्ष चार प्लास्टिक थैली में बराबर बराबर मात्रा में भरकर चार पैक बनाकर धागे से बांधा एवं इन चारों थैलीयों को चार प्लास्टिक जारों में अलग अलग रखकर जारों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1590, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में [illegible] पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त [illegible] S-1590 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक [illegible] को [illegible] लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) के चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर ट९ की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 17.01.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 15.01.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म महादेव शॉपिंग एण्ड मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता महेन्द्र रावल से खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) के नमूना संख्या S-1590 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./230/Act/2022/237 दिनांक 07.02.2022 के अनुसार [illegible] Gum (गोंद) का नमूना संख्या [illegible] (Sub-standard) पाया गया है। [illegible] प्रतिवादी महेन्द्र रावल पुत्र [illegible] – रेल्वे स्टेशन

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Gum (गोंद) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी महेन्द्र रावल पुत्र श्री बालुराम रावल, निवासी– रेल्वे स्टेशन रोड, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव शॉपिंग एण्ड मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी महेन्द्र रावल पुत्र श्री बालुराम रावल, निवासी– रेल्वे स्टेशन रोड, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव शॉपिंग एण्ड मर्चेन्ट, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.4.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:31 IST
Reason: SelfAttested